संख्या-39/2023/694/18-2-2023/18-2099/177/2023

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय,
उ0 प्र0, कानपुर।

2- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

3- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 30 जून, 2023

विषय:- मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना।

महोदय,

प्रदेश के आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन की दृष्टि से एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपलब्ध आंकडों के अनुसार प्रदेश में स्थापित कुल एम0एस0एम0ई0 इकाईयों का लगभग 15% ही औपचारिक रूप से उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकृत हैं एवं लगभग 85% इकाईयाँ अनौपचारिक रूप में कार्यरत हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीयन बाध्यकारी न होने के कारण अधिकांश इकाईयों द्वारा अपना पंजीयन पोर्टल पर नहीं कराया जाता है, जिससे इन इकाईयों के आंकड़े औपचारिक रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं। औपचारिक आंकड़ों की उपलब्धता सुगम न होने से जहाँ इस क्षेत्र का आर्थिक योगदान वास्तविक रूप से प्रदर्शित नहीं हो पाता है, वहीं नीति निर्धारण में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

2- अतः एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र में सूक्ष्म इकाईयों के पंजीकरण को प्रोत्साहित किए जाने एवं किसी आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में उद्यमियों की आर्थिक सुरक्षा के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निम्नवत प्रख्यापित किये जा रहे हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. <u>योजना-</u>

- प्रदेश सरकार द्वारा एम0एस0एम0ई0 को प्रोत्साहित करने एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में सूक्ष्म उद्यमियों को सहायता प्रदान करने हेतु ‘‘मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना’ लागू की जा रही है।
- यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में एक समान प्रभावी होगी।
- योजनान्तर्गत सूक्ष्म इकाईयों को लाभान्वित कराया जायेगा।
- दुर्घटना ग्रस्त होने पर अधिकतम रू0 5.00 लाख की सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
- योजना क्रियान्वयन की समस्त प्रक्रिया आनलाइन होगी।
- योजना में 18 वर्ष से 60 वर्ष के सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमियों द्वारा आवेदन किया जा सकता है।
- जो उद्यमी GSTIN/TIN लेने के पात्र हैं, उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा (अर्ह नहीं होंगे)। उनके लिये GST विभाग मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा संचालित कर रहा है।

2. <u>योजना का मुख्य उद्देश्य-</u>

- प्रदेश के स्थायी निवासी, सूक्ष्म उद्यमियों, हस्तशिल्पियों एवं उनके परिवारों को संकट में सहायता उपलब्ध कराना।
- असंगठित क्षेत्र में स्थापित एवं कार्यरत सूक्ष्म उद्यमों को संगठित क्षेत्र में लाते हुए उनको औपचारिक स्वरुप प्रदान करना।
- इस प्रकार औपचारिक स्वरुप प्रदान करते हुए इन उद्यमों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग की अन्य प्रचलित योजनाओं से लाभान्वित करना।
- इन उद्यमों की उत्पादकता को औपचारिक अर्थव्यवस्था के तंत्र से जोड़ना।

3. <u>योजना की रूपरेखा-</u>

- भारत सरकार के यू. आर. सी. पोर्टल पर पंजीकृत समस्त सूक्ष्म उद्यमों, जिसमें उत्पादन एवं सेवा दोनों क्षेत्रों को योजना के अंतर्गत लाभान्वित कराया जाएगा।
- ऐसे उद्यम जो यू.आर.सी. में पंजीकृत नहीं है, उनको पंजीकृत कराते हुए लाभान्वित कराया जाएगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- इस हेतु विभागीय पोर्टल msme.up.gov.in पर सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा हेतु पंजीकरण कराया जायेगा।
- यू.आर.सी. पोर्टल पर पंजीकृत होने की दशा में उद्यमों द्वारा अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र अपलोड किया जायेगा एवं पंजीयन न होने की दशा में दिए हुए लिंक पर क्लिक करते हुए यू आर. सी. पोर्टल पर पंजीकृत कराकर प्रमाण पत्र अपलोड किया जायेगा।
- योजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्गीकृत उद्यमी को निम्नानुसार लाभ देय होगा:-
    I. दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु होने पर: रुपये 5.0 लाख
    II. दुर्घटना के फलस्वरूप स्थायी अपंगता पर : रुपये 5.0 लाख
    III. दुर्घटना के फलस्वरूप आंशिक स्थायी अपंगता पर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र में उल्लिखित विकलांगता प्रतिशत के अनुसार।
- योजना के अंतर्गत समस्त प्रकार के उद्यम यथा:- प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी आदि लाभ हेतु पात्र होंगे। प्रोपराइटर फर्म होने की दशा में फर्म का मालिक, पार्टनरशिप फर्म में कोई एक साझीदार, कंपनी की दशा में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीमा से आच्छादित होंगे।
- ऐसे उद्यमी जो वाणिज्य कर विभाग द्वारा संचालित व्यापारी दुर्घटना बीमा अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य विभाग द्वारा संचालित दुर्घटना बीमा में आच्छादित हैं, उनको इस योजना में लाभ देय नहीं होगा।
- सेवा व उत्पादन सम्बन्धी उद्यमों को, जो जी.एस.टी. पोर्टल पर पंजीकृत हैं, एवं व्यापारी दुर्घटना बीमा से आच्छादित हैं, उनको अनिवार्य रूप से यू.आर.सी. पोर्टल पर पंजीकृत कराया जायेगा।
- योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी ।
- दुर्घटना होने की दशा में पीड़ित के परिवार द्वारा ऑनलाइन व्यवस्था में आवेदन करने के उपरांत समस्त प्रपत्रों की एक प्रति सम्बंधित जिले के उपायुक्त उद्योग को प्रस्तुत की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- उपायुक्त उद्योग द्वारा प्रपत्रों के प्राप्त होने के उपरांत स्थलीय निरीक्षण के आधार पर 07 कार्य दिवसों के अंतर्गत अपनी संस्तुति पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। निदेशालय स्तर पर पूरे प्रदेश से प्राप्त क्लेम का सेटलमेंट कराया जायेगा।

4. <u>आवेदन एवं लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया-</u>

- योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु उद्यमी द्वारा वास्तविक रूप से उत्पादन/सेवा क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए। इसकी पुष्टि हेतु उद्यमी द्वारा 10/- रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र अपलोड किया जायेगा।
- उद्यमी द्वारा अपने आवेदन में नॉमिनी का पूर्ण विवरण भरा जाना अनिवार्य होगा।
- बीमा का लाभ उद्यमी को एक वर्ष हेतु प्राप्त होगा। विभाग द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की जायेगी कि उद्यमी को रजिस्ट्रेशन पूर्ण करते समय ही ऑनलाइन रूप से योजना के अन्तर्गत पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जायेगा।
- दुर्घटना होने की दशा में पोर्टल पर घटना के सम्बन्ध में दुर्घटना की तिथि स्थान, दुर्घटना का विवरण व इस संबंध में पंजीकृत एफ.आई.आर., चिकित्सक का प्रमाण पत्र, उद्यमी / नॉमिनी के बैंक खाते का विवरण, पोस्टमार्टम की कॉपी आदि के साथ आवेदन करने के उपरांत सम्बंधित उपायुक्त उद्योग द्वारा सत्यापन, पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा, जिसके उपरांत बीमा की धनराशि उद्यमी / नॉमिनी को ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी।

5. <u>योजना का क्रियान्वयन-</u>

- योजना का क्रियान्वयन विभाग के माध्यम से किया जायेगा। विभाग के उपायुक्त उद्योग जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे। उपायुक्त उद्योग द्वारा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुये अधिकाधिक उद्यमियों का पंजीयन यूआरसी पोर्टल पर कराया जायेगा। इन पंजीकृत उद्यमियों में जिनका GSTIN/TIN नहीं है, उनको योजना से आच्छादित किया जायेगा।
- योजना प्रख्यापन की तिथि से 05 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।
- पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमी की दुर्घटना होने की दशा में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उपायुक्त उद्योग से क्लेम धनराशि की संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त निदेशालय स्तर से उद्यमी के नामित वारिस को बीमा की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से अधिकतम 01 माह में उपलब्ध करा दी जायेगी। योजना के संचालन हेतु पृथक से कोई बैंक खाता नहीं खोला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- अधिक से अधिक सूक्ष्म उद्यमियों के पंजीयन हेतु विभाग द्वारा सघन अभियान चलाया जायेगा, जिसके अंतर्गत अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहे अधिक से अधिक उद्यमियों/ सेवाप्रदाता का पंजीयन यूआरसी पोर्टल पर कराया जायेगा एवं पात्र उद्यमियों को योजना से लाभान्वित कराया जायेगा।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष में यह योजना 15 अगस्त से संचालित की जायेगी। इस तिथि तक यूआरसी पोर्टल पर पंजीकृत समस्त पात्र सूक्ष्म उद्यमियों को 30 जून, 2024 तक बीमा कवर प्रदान किया जायेगा। आगामी वित्तीय वर्षों में 30 जून तक पंजीकृत समस्त पात्र उद्यमियों को प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई से 30 जून तक बीमा कवर प्रदान किया जायेगा।
- चूँकि वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना लागू होने तक लगभग 8-9 माह ही अवशेष रहेंगे, अतः वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु इस योजना का क्रियान्वयन विभागीय माध्यम से किया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्राप्त अनुभवों से यदि आवश्यकता महसूस होती है, तो बीमा कंपनियों के माध्यम से सीधे अथवा ब्रोकरेज फर्म के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन पर मा0 मुख्यमंत्री जी के स्तर से निर्णय प्राप्त करते हुये क्रियान्वयन कराया जायेगा।

3- योजना के किसी भी बिन्दु पर संशोधन/परिवर्द्धन मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तयोजना का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

अमित मोहन प्रसाद

अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय तथा (आडिट-प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
4- सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6- समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

अशोक कुमार तिवारी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।